

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD
BORDER ROADS ORGANISATION
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE
ADVT No 01/2013

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE APPLICATION FORM

1. Application are invited for filling up the following posts in General Reserve Engineer Force from Indian National Males only:-

Sr No	Posts/Trades	Category				Total
		UR	SC	ST	OBC	
1	SUPERVISOR STORE	0	0	1	0	1
2	LABORATORY ASSISTANT	5	0	0	1	6
3	HINDI TYPIST	7	2	1	1	11
4	VEHICLE MECHANIC	62	26	7	16	111
5	DRIVER MECHANICAL TRANSPORT (ORDINARY GRADE)	312	92	43	165	612
6	OPERATOR EXCAVATING MACHINERY (ORDINARY GRADE)	77	22	10	40	149
7	DRIVER ROAD ROLLER (ORDINARY GRADE)	24	7	3	12	46
G/TOTAL						936

UR	UNRESERVED
SC	SCHEDULED CASTE
ST	SCHEDULED TRIBE
OBC	OTHER BACKWARD CLASS

ESSENTIAL QUALIFICATION, PAY SCALES AND AGE LIMIT

<p align="center">Post No. 01</p> <p align="center">SUPERVISOR STORE</p>	<p>Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 2400 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: (i) Degree from a recognized University or equivalent. (ii) Possessing certificate in Material Management or Inventory Control. or Inventory Control or Stores Keeping from a recognized institution.</p> <p align="center">OR</p> <p>Possessing two years experience in handling of Engineering Stores in Central Government or State Government Department or establishment.</p> <p align="center">OR</p> <p>Possessing Class I Course for Storeman Technical as laid down in Defence Service Regulations, (Qualification Regulation for Soldiers) from office of Records or Centres or similar establishment of Defence.</p> <p align="center">AND</p> <p>Has to pass written test, interview in Hindi/English and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.</p>
<p align="center">Post No. 02</p> <p align="center">LABORATORY ASSISTANT</p>	<p>Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 2000 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: (i) 10 + 2 from a recognized Board or equivalent ; (ii) Laboratory Assistant Certificate issued by Industrial Training Institute or a recognized Institute.</p> <p align="center">OR</p> <p>Defence Trade Certificate from an Army Institute or similar establishment of Defence with one year experience as Laboratory Assistant from Army Hospital.</p> <p align="center">OR</p> <p>Having passed class I course for Laboratory Assistant as laid down in a Defence Service Regulations (Qualification Regulations for soldiers) from Office or Records or Centres or similar establishment of Defence.</p> <p align="center">AND</p> <p>Has to pass written test, interview in Hindi/English, practical test and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.</p>

Post No 03 HINDI TYPIST	Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 1900 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: (i) 10+2 from a recognized Board or equivalent. (ii) Typing speed of 30 word per minute in Hindi on Computer (30 words per minute correspond to 9000 KDPH on an average of 5 Key depressions for each word.)
	AND
	Has to pass written test, interview in Hindi/English, typing test in Hindi on computer and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.
Post No 04 VEHICLE MECHANIC	Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 1900 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: (i) Matriculation from a recognized Board or equivalent ; (ii) Possessing certificate of Mechanic in Motor Vehicle/Diesel/Heat Engine from Industrial Training Institute or equivalent;.
	OR
	Possessing certificate of Mechanic in internal Combustion Engine/Tractor from Industrial Training Institute or equivalent;
	OR
	Having passed the Defence Trade Certificate from an Army Institute; or similar establishment of Defence or having passed Vehicle Mechanic Class 2 Course as laid down in Defence Service Regulations, (Qualification Regulations for Soldiers) from office of Records or Centres of similar establishment of Defence.
	AND
Has to pass written test, interview in Hindi/English, Practical Test and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.	
Post No 05 DRIVER MECHANICAL TRANSPORT (ORDINARY GRADE)	Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 1900 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: i) Matriculation from a recognized Board or equivalent ; and ii) Possessing a heavy Motor vehicle driving licence ;
	OR
	Having passed class III Course for Driven Plant Mechanical Transport as laid down in Defence Service Regulations (Qualification Regulations for Soldiers) from office of Records or Centres or similar establishment of Defence.
	AND
Has to pass written test, interview in Hindi/English, practical test and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.	

Post No 06 OPERATOR EXCAVATING MACHINERY (ORDINARY GRADE)	Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 1900 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: i) Matriculation from a recognized Board or equivalent ; ii) Possessing a heavy Motor vehicle driving licence OR
	Driving licence for Dozer/Excavator and six months experience in driving Dozer/Excavator. OR
	Having passed class II Course for Operator Excavating Machinery as laid down in Defence Service Regulations (Qualification Regulations for Soldiers) from office of Records or Centres or similar establishment of Defence. AND
	Has to pass written test, interview in Hindi/English, practical test and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.
Post No 07 DRIVER ROAD ROLLER (ORDINARY GRADE)	Pay Band / Scale : Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs 1900 (As per 6th CPC) Age between 18 to 27 years. Essential Qualification: i) Matriculation from a recognized Board or equivalent ; and ii) Possessing a heavy Motor vehicle or Road Roller driving licence with experience of six months in Road Roller Driving ;
	OR
	Having passed class II Course for Driver Plant Mechanical Transport as laid down in Defence Service Regulations (Qualification Regulations for Soldiers) from office of Records or Centres or similar establishment of Defence. AND
	Has to pass written test, interview in Hindi/English, practical test and Physical Efficiency Test as per criteria fixed at Annexure-II attached.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. GENERAL INSTRUCTIONS

- (a) **Only Male candidates need to apply.** Females need not apply.
- (b) A candidate must be either :-
- (i) a citizen of India, OR a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.
- (c) **Centre for trade test**
- (i) Candidates residing in the states of Uttrakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana, Delhi & Jammu & Kashmir will mention their trade test centre as **Rishikesh zone.**
- (ii) Candidates residing in the states of Orissa , West Bengal, Jharkhand, Chattisgarh, Bihar, Sikkim, Assam and all other states of North- Eastern region i.e. Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland , Arunachal Pradesh & Tripura will mention their trade test centre as **Tezpur zone**
- (iii) Candidates residing in all other states i.e Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Goa, Gujrat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Andaman Nicobar Islands & Pondichery which are not mentioned in above two zones ie Rishikesh zone and Tezpur zone will mention their trade test centre as **Pune Zone.**
- (d) Efforts will be made to give the candidates the centres of their choice for test. However, Commandant GREF Centre reserves the exclusive right to assign any of the centre including new Centre as per administrative convenience.
- (e) All applications quoting the Advertisement No, date and post applied for should be submitted to Commandant, GREF CENTRE, Dighi Camp, Pune-411 015 through Registered/Acknowledgment Post.
- (f) Before applying for any post, the candidates should ensure that he fulfills all the eligibility norms. The candidate should have the requisite educational/technical qualifications from recognized university/institute for central Govt. jobs **AS ON THE CLOSING DATE OF SUBMISSION OF THE APPLICATION.** Those awaiting results of the final examination need not apply. Commandant, GREF Centre may reject the candidature of the candidates at **any stage of recruitment process** in case the candidate is not fulfilling the requisite criteria and if appointed, such candidates are liable to be terminated/ removed from service summarily.
- (g) Candidate should submit typed application and must sign at the prescribed places. Application should be on good quality A4 size bond (80 GSM) paper using one side only. News Paper cutting should not be used as application. The candidates purchasing printed applications from the market should ensure that it confirms to the prescribed format published in the Employment News. The candidates can also make photocopy of the application format as given in the Employment News/Rozgar Samachar and then fill up the details. They can also download the application format from the website of **www.bro.nic.in**. The candidates should send their application well in advance before the closing date. *Commandant GREF CENTRE* will not be responsible for any postal delay/wrong delivery of the application etc.
- (h) Candidates should note that only the date of birth as recorded in the 10 th Class/High School examination certificates as on the date of submission of applications will only be accepted. **MARK SHEETS IN PLACE OF CERTIFICATES WILL NOT BE ACCEPTED AS PROOF OF DATE OF BIRTH.**
- (i) Serving defence personnel likely to be released from service within one year from the closing date can also be apply against Ex-servicemen vacancies.
- (j) Call letters for trade test are sent to candidates by post and the same can also be seen on BRO web site **www.bro.nic.in**. Commandant, GREF Centre will not be responsible for any postal delay/wrong delivery of call letters. Results of provisionally selected candidates will be displayed in the website of **www.bro.nic.in**. Commandant, GREF Centre does not intimate candidates who are not selected in written examination or any other test.

- (k) Selected candidates will have to undergo training at GREF Centre, Pune for 59 days.
- (l) The candidates who indicate their community as SC or ST or OBC in their application form but do not enclose the caste certificate in the prescribed format will not be considered as eligible to appear for the Trade Test.
- (m) Candidates belonging to SC/ST/OBC who have applied for any trade in their respective categories must not apply separately against UR vacancies since at the time of preparing Merit List their names will be considered for UR vacancies who qualify Trade tests as per the criteria fixed for UR candidates.
- (n) SC/ST/OBC candidates who fulfill required educational qualification / technical qualification under UR category can also apply against UR vacancies, in case no vacancies exist in their respective category against this advertisement. However, no relaxation in age and application fees would be permissible to them.
- (o) Any subsequent changes in the terms and conditions of this employment notice as per extent rules will stand good. Commandant GREF Centre reserves the right to consider/incorporate any subsequent changes/modifications/additions in the terms and conditions of recruitment under this employment notice if necessitated and applicable.
- (p) Vacancies are liable to increase/decrease without any further notice.
- (q) All candidates will undergo Physical Efficiency test but marks of physical test during selection will vary depending on post applied for. Passing of physical test is mandatory for all trades. Physically handicapped candidates appearing for trade test are exempted from undergoing physical test. However, no weightage of marks of this physical test will be given during selection. The details of physical test for all the trades are given at Annexure-I & II.
- (r) Written test, will be objective in nature and will be bilingual (Hindi/English).
- Note :** If sufficient candidates do not apply for any post against this Advt, the candidates will be called for the Trade Test to the any other Recruiting Zone.

2. AGE LIMIT/ RELAXATION

The lower and upper age limit indicated will be reckoned as on closing dates of applications. The upper age limit is relaxable as under subject to submission of requisite certificate.

S No	Category	Age Relaxation
(a)	UR	NIL
(b)	SC/ST	5 years
(c)	Other Backward Class	3 years
(d)	Departmental Candidates	Up to 45 years for SC/ST, 43 years for OBC and 40 years for UR for Group C.
(e)	Ex-Serviceman	Ex-Serviceman who has put in NOT less than six months continuous service in the Armed Forces shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age plus 3 years in addition to age relaxation admissible to OBC/SC/ST category.
(f)	Physically Handicapped	10 years
(g)	Jammu & Kashmir Migrant	05 years
<p>NOTE : 1. No age relaxation is allowed to SC/ST/OBC candidates applying against unreserved vacancies.</p> <p>2. Age and experience where required will be reckoned as on closing date of application i.e. 45 days from date of publication of this advertisement.</p>		

3. WEIGHTAGE FOR ISSUE OF CALL LETTERS

In order to help wards_ of serving/retired GREF personnel/Ex-servicemen, sportsmen and NCC certificate holders the following weightage will be added to the percentage of marks obtained for issue of call letters :-

- | | | |
|-----|---|-------|
| (a) | Son of serving/retired GREF personnel (such concession to only one son) | - 15% |
| (b) | NCC "C" Certificate | - 10% |
| (c) | NCC "B" Certificate | - 05% |
| (d) | Serving GREF Personnel applying for higher post (Open market) | - 15% |
| (e) | Son of Ex-servicemen | - 03% |
| (f) | Sports at State/District/University level | - 05% |

4. APPLICATION FEES (NON-REFUNDABLE)

Candidates must pay the application fee(Non-Refundable), by way of A/C payee demand draft in favour of **COMMANDANT, GREF CENTRE, PUNE – 411 015** payable at SBI Khadki Branch, Pune Code No.01629. Application fee for each category mentioned as below :-

S No	Category	Application Fees
(i)	General candidates including Ex-servicemen	Rs 50/-
(ii)	Other Backward Class candidates	Rs 50/-
(iii)	Scheduled Caste & Scheduled Tribe .	NIL
(iv)	Physically Handicapped Persons	NIL

5. HOW TO APPLY

- (a) Application will be filled up in **English/Hindi** only.
- (b) No candidate will send more than one application for the same post.
- (c) Candidates applying for more than one post should be send separate application with separate fee. One envelope should contain one application for one post only. However, dates for trade test will be decided by the Department.
- (d) If a candidates has changed his name or dropped or added part of his name after Matriculation/SSC/Hr Secondary/Sr Secondary he will be required to submit, an attested copy of Gazette Notification to the effect that he has changed his name after matric or otherwise for appearing in Trade Test. The changed name should also have been indicated in the Gazette Notification.
- (e) Candidates are advised to go through the general instructions carefully as mentioned against Advt No. 01/2013. Candidate should carefully go through all the provisions in the advertisement to ensure that he is eligible for the post for which he is applying in terms of requirements of age, educational qualification etc. **AS ON CLOSING DATE.**
- (f) Attested copies of certificate for proof of residence, essential educational qualification, date of birth and caste certificate should be enclosed with application form. The caste certificate for SC/ST/OBC should be as per format at Appendix 'B' & 'C' respectively. SC/ST/OBC Certificate (date of issue should not be older than one year as on closing date for OBC Candidates), should be signed by competent authority and should have **OFFICE ROUND SEAL AND APPOINTMENT SEAL DULY AFFIXED ON** it at the place provided.
- (g) Proof of residence issued by the competent authority. Gorkhas of Indian domicile, will produce Permanent Residence Certificate (PRC) issued by the competent authority.
- (h) Any certificate in language other than Hindi or English should be enclosed with translation in Hindi or English duly attested by a Group A Gazetted officer.
- (i) **SON'S OF SERVING/EX GREF PERSONS** SHOULD WRITE THEIR FATHER'S PARTICULARS i.e. GS NO, RANK AND NAME, ON THE TOP OF THE APPLICATION IN RED INK AND ATTESTED PHOTOCOPY OF THEIR DEPENDENCY CERTIFICATE OF EMPLOYMENT FROM OC UNIT/DISCHARGE CERTIFICATE SHOULD BE ENCLOSED.
- (j) EXPERIENCE CERTIFICATE (WHEREVER REQUIRED) FROM PRIVATE EMPLOYER SHOULD BE ON PRINTED LETTER HEADS QUOTING THEIR REFERENCE NUMBER WITH RUBBER SEAL THE CERTIFICATE MUST INDICATE REGISTRATION NUMBER CST NO, TIN NO. NATURE OF WORK DONE, PERIOD OF EMPLOYMENT WITH DATE AND MONTHLY SALARY.
- (k) **CASUAL PAID LABOURERS** are required to attach experience certificate indicating CPL Code number signed by OC unit, **countersigned** by Commander BRTF and duly **verified** by concerned Accounts Officer with their application. The Casual Paid Labourers (CPL) should forward their application to Commandant GREF Centre, Pune.

(l) The Casual Paid Labour who has worked for a minimum period of six months as CPL in GREF and working in the organization on the day of publication of Advt in newspapers is only eligible for consideration against CPL Categories. A Certificate from OC Unit, duly countersigned by Commander TF as a Proof for his working at present as CPL is mandatory. The candidate already working in other Central/State Govt. department will apply through proper channel.

(m) Candidates are required to super scribe the word **APPLICATION FOR THE POST OF _____ Category UR/SC/ST/OBC , WEIGHTAGE PERCENTAGE IN ESSENTIAL QUALIFICATION _____** on the top of the envelope while sending the application form.

(n) All applications quoting this advertisement number and post applied for should be submitted so as to reach to Commandant GREF Centre, Dighi camp, Pune- 411 015 within 45 days from the date of publication of this advertisement from the candidates staying in plains as 60 days from the candidates those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of the State Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of the State Himachal Pradesh , the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. As per format of application enclosed as **Appendix 'A'** to this advertisement.

(o) Candidates who had applied in response to previous advertisement are required to apply afresh.

6. INVALID APPLICATION

(a) An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for not conforming to the official format/having incomplete information/ wrong information/misrepresentation of facts/left unsigned/ submitted without fee where due/without an attested photograph pasted at the appropriate place/and for submitting more than one application for the same post.

(b) Applications, which are not filled up as per instructions or partly filled up applications, will not be entertained. No communication will be done for rejected applications. Applications may be rejected due to reasons such as :-

- (i) Incomplete or illegible and not submitted on prescribed format
- (ii) Unsigned/ Undated/ without photograph.
- (iii) Without proper certificate in respect of SC/ST /OBC and Ex-Servicemen.
- (iv) Under aged/Over aged candidates.
- (v) Not possessing the requisite educational qualification at the time of submitting applications.
- (vi) Educational qualification not recognized.
- (vii) Application received after due date.
- (viii) Application without prescribed fee for UR and OBC category.
- (ix) Any other irregularity like mutilated or damaged application/documents, etc.
- (x) Certified true copies of testimonial not enclosed etc.
- (xi) Multiple applications for the same post.

7. DOCUMENTS REQUIRED TO BE PRODUCED AT THE TIME OF REPORTING FOR RECRUITMENT PROCESS

- (a) Educational qualification certificate
- (b) Caste Certificate
- (c) Experience Certificate
- (d) Domicile/Nativity Certificate/Proof of residence issued by the competent authority. Gorkhas of Indian domicile, will produce Permanent Residence Certificate (PRC) issued by the competent authority.

8. RECRUITMENT PROCESS

- (a) The selection is made strictly as per merit; on the basis of physical test/written examination/practical test and interview as applicable to the particular trades.
- (b) The date of trade test will be decided by Commandant : GREF Centre, Pune. Application will be shortlisted on percentage and/or qualification will be issued call letters for appearing in test.
- (c) On the day of reporting for the trade test, checking of essential original documents of the candidates will be carried out by Gazetted Officer of Recruitment Centre. Candidates who are in possession of documents as per Advt No 01/2013 will only be allowed to go through further test. All candidates who come for Screening/Interview /Trade Test at GREF Centre/other regional recruiting centres have to undergo the following tests :-
- (i) Physical Test
 - (ii) Trade Test/Written Test
 - (iii) Interview
- (d) **Physical Test.** Candidates will undergo physical test and candidates those who pass in physical test will only be allowed to attend the further tests(.i.e written/practical/interview)
- (e) **Written Exam .** Answer the question paper in **blue ball pen** only. No work in pencil is allowed. Any disclosure of identity on answer sheet will render as disqualified. The syllabus for the written examination will generally in conformity with the educational standards and/or technical qualifications prescribed for the posts. The questions will be of objective type with multiple answers and likely to include questions pertaining to General Knowledge, General English/General Hindi, General Arithmetic, Analytical and Quantitative Skills and those subjects covered as part of minimum educational/technical qualification for the post. The question paper will be bilingual i.e. English and Hindi and the duration of the examination may vary from 1hrs to 3hrs depending upon the trade.
- (f) **Interview :** Interview will be carried out by the concerned Board of Officers.
- (g) The whole process of recruitment will take minimum 10-15 days, therefore candidates are requested to plan their stay at their own expense accordingly.
- (h) Conduct of Trade Test : PH candidate will go through all Trade Test examination except Physical Test
- (i) **Age + Experience :** The last date for reckoning age and experience should be the closing date of the receipt of application for main land states (Not the dates of receipt of application from NE states etc).
- (j) Any provisional certificate involved should not be older that five years at the time of closing date of respective region.
- (k) Result of provisionally selected candidates will be displayed in **www.bro.nic.in** subsequently followed by ordinary letter to provisionally selected candidates to report to **GREF Centre, Pune-15** within 4 to 6 weeks for medical examination.
- (l) The appointment of selected candidates is subject to his passing requisite Medical/Fitness. Test to be conducted by the Medical Officer of BRO. However, one appeal is allowed against the decision of Medical Officer. Holding of medical examination does not confer any right of the candidate for appointment. The appointment is subject to fitness in medical examination and production of all requisite documents in original (i.e educational qualification certificate with mark sheet, technical qualification certificate, caste certificate and domicile/residential certificate issued by appropriate competent authority i.e. not below the rank Tehsildar).
- (m) Detailed documentation check of provisionally selected candidates will be carried out by Recruiting Wing, GREF Centre, Pune.
- (n) Only medically fit candidates will be inducted.
- (o) The candidate is responsible for the delay in induction, on account of non production of valid essential documents during final check.

PHYSICAL STANDARDS

Region	States/Regions included	Physical Standards		
		Height in Cms	Chest in Cms	Weight in Kgs
WESTERN HIMALAYAN REGION	J&K, Himachal Pradesh & Punjab Hills (Area South and West of the Inter State Border between Himachal Pradesh and Punjab and North and East of Road of Mukerian, Hoshiarpur, Garh Shankar, Ropar and Chandigarh), Garhwal and Kumaon (Uttarakhand)	158	75-80	47.5
EASTERN HIMALAYAN REGION	Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam and Hill Region of West Bengal (Darjeeling, & Kalimpong District) and Andaman Nicobar	152	75-80	47.5
WESTERN PLAIN REGION	Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan, Western UP (Meerut & Agra division) Meerut Div-Muzaffarnagar, Saharanpur, Ghaziabad, Bulendshahar, Hardwar, Agra Division - Aligarh, Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Etawah & Firozabad)	162.5	76-81	50
EASTERN PLAIN REGION	Eastern UP, Bihar, West Bengal, Orissa & Jharkhand.	157	75-80	50
CENTRAL REGION	Madhya Pradesh, Gujrat, Maharashtra, Dadar & Nagar Haveli, Daman and Diu, Chhattisgarh.	157	75-80	50
SOUTHERN REGION	Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Goa and Pondicherry	157	75-80	50
Relaxation in DD Cases (this will be applicable to own son, adopted son and not any other relative.		2	1	2
GORKHAS (INDIAN DOMICILE)		152	75-80	47.5
RELAXATION TO SONS OF SERVING/EX GREF PERSONS.		2	1	2

(p) **Medical Standards**

Every recruit must be sufficiently intelligent, be free from various instability and be in possession of sound health. He shall have no constitutional or acquired disability as may in the opinion of the Recruiting Medical Officer render him unfit for duties in the Force particularly at high altitude. He must be free from Colour blindness.

(q) **Visual Standards**(r) **For General Recruits**

Visual Acuity (With/Without glass)

Better Eye6/12

OR

Reads 0.6 or J 2

Worse Eye.....6/36

OR

Reads 1 or J 6

(s) **For Drivers (Unaided vision)**

Each eye6/12

OR

Reads 0.6 or J 2

Better eye 6/6 read 0.5 or J 1

OR

Worse eye 6/36 reads 1 or J 6

- (t) Candidates belongs to Western Himalayan region (area of South and West of the interstate border between Himachal Pradesh and Punjab and North and East road of Mukerian, Hoshiarpur, Garh Shankar, Ropar and Chandigarh will produce domicile certificate from competent civil authority (Tehsildar/Magistrate) and **ATTACH WITH THEIR APPLICATIONS. PRODUCING OF CERTIFICATE BEFORE MEDICAL EXAMINATION WILL NOT BE ENTERTAINED.**

Physically Handicapped : 3% of vacancies shall be reserved for Physically handicapped candidates in their respective categories wherever applicable. However they will be eligible for recruitment subject to passing Trade Test, Written Test, Interview and Medical fitness as applicable in GREF service. PH candidates need not to apply for the following posts as mentioned in this Advt as there is no vacancies available within the prescribed quota reserved for PH candidates.

- (i) Supervisor (Store)
- (ii) Lab Assistant
- (iii) Hindi Typist

9. SERVING EMPLOYEES

- (a) Persons employed in Government Department should apply through proper channel sufficiently in advance so that their application reaches in time

10. RE-APPOINTMENT OF SERVING EMPLOYEES:

- (a) Application from departmental candidates should be forwarded from their unit on the prescribed format as per ROI 1/98 in one lot to Commandant, GREF Centre, Pune.
- (b) Departmental candidates applying for trades like Driver MT(OG), OEM(OG) and Driver RR(OG) must fulfill the criteria as per Govt of India, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, BRDB Notification No.GSR 3 dated 22 Dec 2004 as amended vide their corrigendum number GSR 237 (e) dated 12 Apr 2005 stating compulsory and regular five years service in Group C posts.
- (c) All GREF employees desirous of getting re-appointment to a suitable post have to apply specifically with respect to a particular Advt in operation, which is publishes from time to time. In case the individual satisfies all the certificates particularly with reference to qualification, experience, age etc. apply through his project.
- (d) A serving GREF personnel can seek re-appointment to another post at par with open candidate in any trade even if the post applied is not in the same line or allied cadre of the post held but he should fulfill all other eligibility criteria as fixed for open candidates I.e. educational qualification, experience and age etc.
- (e) A serving GREF employee once if he crosses the upper age limit as fixed for open direct recruits, he can take the help of enhanced upper age limit for re-appointment in Group 'C' post .ie.40,43,45 years for UR, OBC, SC/ST respectively provided he has put in minimum 03 years service in the GREF and the post applied is in the same line or is in the allied cadre and where a relationship could be established that the service rendered in GREF will be useful for efficient discharge of duties in other categories of post.
- (f) Once the criteria as laid down above in respect of age, qualification, experience etc is satisfied by serving employee, he may submit his application alongwith connected forms and appendices, (as per HQ DGBR letter No.67043/Policy/DGBR/EG2 (Rtg) dated 23 Oct 74 and proforma forwarded vide GREF Records letter No.1280/83/P2 dated 05 Mar 1976), to OC unit. The unit will check the details with service documents and certificates. Complete documents will then be sent to Task Force for recommendation of TF Commander and subsequently to Chief Engineer for his final recommendation
- (g) While recommending re-appointment of departmental candidates, OC Unit must ensure that the candidates possess requisite qualification and is from allied cadre.
- (h) **FOR DRIVER MT (OG), OPERATOR EXCAVATING MACHINERY (OG) AND DRIVER ROAD ROLLER (OG) ONLY** Must possess valid heavy goods vehicle driving licence.
- (i) Sons/Daughters/wards of Ex-Servicemen are not eligible to apply for the post reserved for Ex-Servicemen.

11. DEFINITION OF EX-SERVICEMEN CANDIDATES

- (a) Ex-Servicemen means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the regular Army, Navy or Air Force (including postal service personnel-APS) of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, General Reserve Engineer Force, Lok Sahayak Sena and Para Military Forces, and
- (b) Who has retired from such service after earning his pension, or
- (c) Who has been released otherwise than on his own request from Service as a result of reduction in establishment, or
- (d) Who has been released from such services after completing specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity.
- (e) Who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstance beyond his control and awarded medical or other disability pension, or
- (f) The persons serving in the Armed Forces of the Union who on retirement from Service, would come under the category of "Ex-Servicemen" are permitted to apply for re-employment one year before the completion of the specified term of engagement and avail themselves of all concessions available to Ex-Servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified terms of engagement in the Armed Forces of the Union.
- (g) Ex-Servicemen who have already joined the Govt. Service in the civil side after availing of other benefits given to them as Ex-Servicemen for further employment cannot claim Ex-Servicemen status for the purpose of this recruitment; such a person will be deemed to be a civil employee and will accordingly be entitled to only such of the benefits like relaxation of age etc, as admissible to civil employees, in the normal course in accordance with the existing instructions in this regard subject to his fulfillment of the conditions governing the grant of such benefits.

12. SERVICE CONDITIONS

- (a) The members of the Force (Department) are deployed in Projects/Units all over India, especially in the Northern and Eastern Regions. Individuals may be posted anywhere in India.
- (b) Individuals selected will be on probation for the first TWO years. On completion of probation period, competent authority will assess their suitability for continuity and pass appropriate orders.
- (c) Members of the Force are governed by the provisions of Central Civil Service and Classification, Control and Appeal Rules 1965 as amended from time to time.
- (d) Notwithstanding the above, all the members of Force are also subject to certain provisions of Army Act 1950 and Army Rules made there under as laid down in SRO 329 and 330 of 1960.
- (e) Members of the Force (Department) are allowed free rations as per authorised scale, clothing, washing allowances, free single accommodation, special compensatory allowances, remote locality allowances and local allowances such as HRA, TPT etc as admissible.
- (f) New defined Contribution Pension Scheme, Leave Travel Concession, Children Education allowance, Group Insurance, Injury benefits, Medical Treatment and other concessions including family accommodation as applicable to Central Govt. employees are available to the members of the Force. The Department also maintains its own family accommodation at certain locations

13. CONCESSION TO SC/ST CANDIDATES FOR RECRUITMENT

- (a) Travelling allowance for attending Trade Test/Interview as per rules, i.e. 2nd class to and from train fare only, if unemployed, is payable on production of railway/bus tickets on completion of journey with caste Certificate and unemployment Certificate.

14. MISCELLANEOUS INFORMATION

- (a) Candidates need not enclose any envelope duly affixed with postage stamp with application. Call letter to eligible candidates will be sent at Govt expense as well as displayed in website www.bro.nic.in .

(b) Recruitment of various trades advertised will be spread over the year in a phased programme. Successful candidates with higher merit in Trade test / Interview will be offered appointment strictly in order of merit and to the extent of availability of vacancies. All other candidates including those who pass through Test/Interview but stand lower in merit will not be considered and may apply afresh against future advertisement.

(c) The numbers of posts shown above are only tentative. It is open to the Dept to fill all the posts or only partially from these or to cancel some of the posts from the list altogether, depending upon the Department's requirement.

(d) NO CORRESPONDENCE/FURTHER ENQUIRY ON THIS ADVERTISEMENT, RECRUITMENT PROGRAMME, CALL LETTERS, INTERVIEW ETC WILL BE ENTERTAINED.

(e) Candidates have to make their own arrangements with postal authority in case of any subsequent change of their address.

(f) Mobile Phones and electronic gadgets are strictly **NOT ALLOWED INSIDE** the campus of Recruitment Zones.

15. IMPERSONATION/SUPPRESSION OF FACTS

- (a) No candidate should attempt impersonation or take the help of any impersonator at any stage of the selection process. Otherwise the candidates will be debarred for life from appearing in all BRO examinations as well as debarred from any appointment in BRO, in addition, legal action will be taken against the candidate.
- (b) Any material suppression of facts or submitting forged certificate/caste certificate by a candidate for securing eligibility and/or obtaining privileges including free travel for appearing in the examination shall lead to rejection of his candidature for the particular recruitment for which he has applied. Further, he will also be debarred from all examinations conducted by Commandant, GREF Centre, Pune all over the country for a period of 2 years and legal action can be initiated, if warranted.
- (c) A candidates will be debarred from examinations of BROs for a specified period/lifetime if (i) the candidates submits multiple applications for the same post and category, (ii) the candidate submit multiple applications with different community for the same post & category, (iii) the candidates submits multiple applications with different photo (face) for same post and category and (iv) the candidates submits multiple applications with different documents for the same post & category.
- (d) Any candidate found using unfair means in the examination or sending someone else in his place to appear at the examination will be debarred from appearing in all the examinations of BRO for lifetime.
- (e) Any candidate who appears more than once for the trade test of same post in the same or different categories his Application/Candidature/Appointment will be cancelled at any stage.

16. WARNING

Beware of Touts/job racketeers/unscrupulous elements who may approach you with assurance of procuring appointment/trying to deceive you by false promises of securing job in BRO either through influence/illegal gratification or by use of unfair and unethical means. One must not fall prey to such false assurance or exploitation and must not entertain or encourage such elements in any way. It is emphasized and reassured that the **SELECTION TRADE TEST WILL BE DONE PURELY ON MERIT, IN A TRANSPARENT MANNER.** BRO has not appointed any agent(s) or coaching centre(s) for action on its behalf. Candidates are warned against any such claims being made by persons/agencies.

CRITERIA : PHYSICAL EFFICIENCY TEST FOR THE FOLLOWING TRADES FROM GP- 'C')

- a) Vehicle Mechanic b) Driver Mechanical Transport (Ordinary Grade)
 c) Operator Excavating Machinery (Ordinary Grade) d) Driver Road Roller (Ordinary Grade)

S NO	ACTIVITY	MARKS CARRIED FOR WEIGHTAGE	MAX TIME ALLOWED TO PASS THE TEST
1.	ONE MILE RUN	NIL. ONLY PASSING THE TEST IS MANDATORY	8 MINUTES

CRITERIA : PHYSICAL EFFICIENCY TEST (FOR GROUP B (Non Gazette) AND BALANCE OF GROUP C TRADE)

1.	ONE MILE RUN	NIL. ONLY PASSING THE TEST IS MANDATORY	10 MINUTES
----	--------------	---	------------

NOTE : I) ONE MILE RUN TO BE CONDUCTED ALWAYS AS FIRST TEST.

II) ALL THOSE WHO HAVE QUALIFY PHYSICAL EFFICIENCY TEST WILL ONLY BE ALLOWED TO APPEAR FOR THE WRITTEN TEST, PRACTICAL TEST, INTERVIEW ETC.

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CANDIDATES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

1. This is to certify that Shri _____ son of Shri _____ of _____ village/town _____ District/Division _____ in the State/Union territory _____ belongs to the _____ caste/tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled tribe under:-

- The Constitution (Scheduled castes) order, 1950@
- The Constitution (Scheduled tribes) order, 1950. @
- The Constitution (Scheduled castes) (Union Territories) Order, 1951. @
- The Constitution (Scheduled tribes) (Union Territories) Order, 1950@
- As amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) order, 1956 the Bombay Organization Act @ 1960 Act & the Punjab reorganization Act 1956, The State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Area (Re-organization) Act-1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment), Act 1976.
- The Constitutions (Jammu & Kashmir) Scheduled castes Order, 1956. @
- The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order, 1962. @
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962. @
- The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964. @
- The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967. @
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968. @
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968. @
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. @
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. @
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978. @
- The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. @
- The constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990. @
- The constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1991. @
- The constitution (ST) Orders (Second Amendment) Act 1991. @
- The constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1996. @

£2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

The certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri _____ Father _____ of Shri _____ of Village/town _____ in District/Division _____ of the State/Union Territory _____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory issued by the _____ dated _____.

£3. Shri _____ and/or his/her family ordinarily reside (s) in Village/Town _____ of _____ District/Division of the State/Union Territory of _____.

Signature _____
** Designation _____

State/Union Territory
Place : _____
Dated : _____

Note :

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific Presidential Order

£ Delete the paragraphs which is not applicable.

Contd..2.

NOTE:

The term ordinarily reside (s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act. 1950.

** List of Authorities Empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/ Extra- Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional officers of the area where the candidate and or his family normally resides.

NOTE ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY from the REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD
CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE
GOVERNMENT OF INDIA**

1. This is to certify that _____ son of Shri _____ of village _____ District/Division _____ in the State of _____

belongs to the _____ community which is recognized as a backward class under:-

- i) Resolution No. 12011/68/93-B.C.C (c) dated the 10 Sep 1993. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 186 dated 13th September, 1993.
- ii) Resolution No. 12011/9/94-B.C.C dated 19th Oct 1994. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 163 dated 20th Oct, 1994.
- iii) Resolution No. 12011/7/95-B.C.C, dated the 24th May, 1995. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 88 dated 25th May, 1995.
- iv) Resolution No. 12011/96/94-B.C.C, dated 9th March, 1996.
- v) Resolution No. 12011/44/96-B.C.C, dated the 6th Dec, 1996. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 210 dated 11th Dec, 1996.
- vi) Resolution No. 12011/13/97-B.C.C, dated 3rd Dec 1997.
- vii) Resolution No. 12011/99/94-B.C.C, dated 11th Dec 1997.
- viii) Resolution No. 12011/68/98-B.C.C, dated 27th Oct 1999.
- ix) Resolution No. 12011/88/98-B.C.C, dated the 6th Dec, 1999. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 270 dated 6th Dec, 1999.
- x) Resolution No. 12011/36/99-B.C.C, dated the 4th Apr, 2000. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 71 dated 4th Apr, 2000.
- xi) Resolution No. 12011/44/99-B.C.C, dated the 21st Sep, 2000. Published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 210 dated 21st Sep, 2000.

2. Shri _____ and/or his family ordinary reside (s) in the District/Division _____ of the State _____.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Govt. of India. Department of of personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993 which is modified vide Deptt. of Personnel and Training O.M. No. 36033/2/2004-Estt (Res) dated 09.03.2004.

Dated :

District Magistrate or
Deputy Commissioner etc

Seal

Note : (a) The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act. 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below :

- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his family resides.



BORDER ROADS ORGANISATION
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE
APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT
INDIAN NATIONAL MALES ONLY
ADVERTISEMENT NO 01/2013

PLEASE FILL UP THE APPLICATION IN CAPITAL LETTERS IN TYPED

Control No

(For Official use)

(All applications must be submitted in A4 size 80 GSM bond paper)

1 NAME OF POST

2 Recruitment Zone (please tick in respective box)

RISHIKESH TEZ PUR GREF CENTRE

3 CATEGORY in which applied
UR SC ST OBC ESM PH GW AW

4 WEIGHTAGE % MARKS Addl % = TOTAL %

5 Whether belong to minority community :-

Muslims/Christians/ Sikhs/ Buddhists or Zoroastrians

6 Name of candidate (in block letters) as per 10 th/High School certificate :

7 FATHER'S NAME (in block letters)

8 Date of Birth as per certificate to be attached Date Month Year

9 Permanent Home Address (with PIN code)

PIN

10 Present postal address (with PIN code)

PIN

11 Application Fee Details

Name of Bank	Demand Draft No & date	Amount
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

12 If a candidate belongs to more than one category he may indicate his dual/triple category in the following boxes using the above codes.

Paste (do not pin or staple) your recent colour passport size photograph of size 4 cm x 5cm. The colour photograph should not be more than 3 months old. Should be attested by Gazetted Officer

Signature of candidate below the photograph

- 13 (a) Whether Son of Ex-serviceman (Y/N) :
- (b) Whether Son of serving/retired GREF pers (Y/N) :
- (c) Whether any brother serving in GREF/Army (Y/N):
- (d) Do you hold NCC "B" certificate (Y/N) :
- (e) Do you hold NCC "C" certificate (Y/N) :
- (f) Are you a sportsman (Y/N) :
- (g) if yes, write 1 for state level, 2 for Region level and 3 for University level :
- (for (f) attach supporting document)

14 (a) **Essential qualifications** (with matriculation exam)

Name of Exam	Year of Passing		Marks obtained/ Total marks	% of marks

(Attach photostat copy of marks sheets. Wherever grades are awarded, they should be converted into equivalent percentage)

(b) **Technical Education** (particulars of highest exam passed)

Name of Exam	Year of Passing		Marks obtained/ Total marks	% of marks

(Attach photostat copy of mark sheets. Wherever grades are awarded they should be converted in to equivalent percentage)

15 Particulars of Driving Licence (for Drivers MT, Road Roller and OEM's only)

Licence Number		Issuing Authority	Initial validity Period of Licence	Renewals up to if any
LMV				
HGMV				

(Attach photostat copy of Driving Licence in support)

16 **Total experience** (in months). (Attach photocopy of experience certificate. Use separate sheet if needed)

Name & Address of employee		Period of Employment		Nature of work done	Monthly Salary drawn	Whether Permanent/ Temporary
		From	To			

(Attach separate sheet if space is not sufficient)

DECLARATION

(To be signed by all the candidates compulsory)

- 1 I have not submitted any other application for the same post. I am aware that if I contravene this rule, my application will be rejected summarily by GREF Centre and candidature will be cancelled at any stage.
- 2 I have read the provisions of the General instructions of the advertisement carefully and I hereby undertake to abide by them.
- 3 I further declare that I fulfill all the eligibility conditions regarding age limit, essential qualification, physical standards etc, as prescribed for recruitment. I have enclosed self attested photocopies of certificates in support of my claim for essential qualifications, age, category (SC/ST/OBC/ESM/PH) and age relaxation.
- 4 I also declare that I do not stand debarred by GREF as on date on any disciplinary grounds and have never been convicted by any court of law.
- 5 I also declare that I do not stand terminated/removed/dismissed from GREF service.
- 6 I hereby further declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect or ineligibility being detected before or after the examination, or after the appointment my candidature/appointment is liable to be cancelled.

Place : _____

Date : _____

**Signature of candidate

**Application not signed by the candidate will be REJECTED.

NOTE : (1) CANDIDATES ARE ADVISED TO POST THE APPLICATION WELL BEFORE THE CLOSING DATE SO SO AS TO REACH COMMANDANT GREF CENTRE, DIGHI CAMP, PUNE-411015 BEFORE THE CLOSING DATE. NO APPLICATION RECEIVED AFTER THE CLOSING DATE WILL BE ACCEPTED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. DEPARTMENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR POSTAL DELAYS.

(2) DEPARTMENTAL CANDIDATES MAY SEND THEIR APPLICATIONS IN FORMAT AS PRESCRIBED IN ROI 01/98 THROUGH PROPER CHANNEL. HOWEVER THEY MUST ENSURE THAT THE APPLICATION COMPLETE IN ALL RESPECTS SHOULD REACH GREF CENTRE, PUNE BEFORE THE CLOSING DATE. APPLICATION SHALL BE REJECTED IF RECEIVED LATE AND IS NOT COMPLETE IN ALL RESPECTS AS APPROVED IN RULES.

ADMIT CARD

Paste (do not pin or staple) your recent colour passport size photograph of size 4 cm x 5cm. The colour photograph should not be more than 3 months old.

(For Office use only)

(To be filled by candidate)
Communication address

Name

S/o

Full signature of candidate

_____	_____
at the time of physical test	at the time of written test
_____	_____
at the time of practical test	at the time of interview

at the time of joining service	

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सीमा सड़क विकास मंडल
सीमा सड़क संगठन
सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल
विज्ञापन संख्या- 01/2013

(आवेदन पत्र भरने से पूर्व कृपया विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1. सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल में भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों (केवल पुरुषों) से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.सं.	ट्रेड/पद नाम	श्रेणी				कुल
		अनारक्षित	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ी जाति	
01	पर्यवेक्षक भंडार	0	0	1	0	1
02	लैब सहायक	5	0	0	1	6
03	हिन्दी टंकक	7	2	1	1	11
04	वाहन मैकेनिक	62	26	7	16	111
05	चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड)	312	92	43	165	612
06	प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड)	77	22	10	40	149
07	चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड)	24	7	3	12	46
		कुल योग				936

आवश्यक योग्यता, वेतनमान एवं आयु सीमा :

<p>पद संख्या- 01 पर्यवेक्षक भण्डार</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p><u>आवश्यक योग्यता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामग्री प्रबंधन या माल नियंत्रण या भण्डारण में प्रमाण-पत्र रखता हो या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापना में इंजीनियरी भंडारों के रख-रखाव में 2 वर्षों का अनुभव, या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित तकनीकी भण्डार पाल के लिए श्रेणी-I का पाठ्यक्रम रखता हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित और मौखिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>
<p>पद संख्या- 02. लैब सहायक</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2000 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p><u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला सहायक का प्रमाण-पत्र रखते हो या किसी सैनिक संस्थान या इसके समान स्थापना से रक्षा व्यवसाय प्रमाण-पत्र के साथ एक वर्ष का प्रयोगशाला सहायक के रूप में किसी सैनिक अस्पताल का अनुभव रखते हो या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित प्रयोगशाला सहायक का श्रेणी-I पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>
<p>पद संख्या- 03. हिन्दी टंकक</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 1900 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p><u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास की हो या समकक्ष (ii) हिन्दी में कम्प्यूटर पर टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइप कर सकते हों (30 शब्द प्रति मिनट 9000 केडीपीएच के अनुरूप है प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दाब)। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा (कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से पास करनी होगी) एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>
<p>पद संख्या- 04. वाहन मैकेनिक</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 1900 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p><u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष। (ii) मोटर वाहन/डीजल/हीट इंजन में मैकेनिक का प्रमाण-पत्र रखता हो या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आंतरिक दहन इंजन/ट्रैक्टर में मैकेनिक का प्रमाण-पत्र रखता हो या रक्षा संस्थान या समकक्ष से रक्षा व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित वाहन मैकेनिक श्रेणी-II में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>

<p>पद संख्या- 05. चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड)</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रू. 5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच। <u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष। (ii) भारी वाहन चलाने का लाइसेंस रखते हों या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित चालक संयंत्र यांत्रिक परिवहन श्रेणी-III में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>
<p>पद संख्या- 06. प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड)</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रू. 5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच। <u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष। (ii) भारी वाहन चलाने का लाइसेंस रखते हों या डोजर/उत्खनन मशीन चलाने का लाइसेंस रखते हों तथा डोजर/उत्खनन मशीन चलाने का 06 महीने का अनुभव हो या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित उत्खनन मशीनरी श्रेणी-II में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>
<p>पद संख्या- 07. चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड)</p>	<p>पे बैण्ड/वेतनमान रू. 5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900 (छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच। <u>आवश्यक योग्यता</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष और (ii) भारी वाहनों या रोड रोलर चलाने के लाइसेंस के साथ 6 महीने का रोड रोलर चलाने का अनुभव हो। या रक्षा सेवा विनियमावली (सैनिकों के लिए अर्हता विनियमावली) के अनुसार अभिलेख या केन्द्र या उसी प्रकार के रक्षा संस्थान से यथानिर्धारित चालक संयंत्र और यांत्रिकी में श्रेणी-II में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। और हिन्दी/अंग्रेजी में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, व्यावहारिक परीक्षा एवं संलग्न अनुलग्नक 2 में निर्धारित शारीरिक दक्षता पास करनी होगी।</p>

01. सामान्य अनुदेश

- (क) केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
(ख) आवेदन कर्ता निम्न में से किसी का नागरिक होना चाहिए।

(1) वह भारत का नागरिक हो अथवा

जिन व्यक्तियों के बारे में इस आशय की पात्रता का प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

(ग) ट्रेड टेस्ट के लिए सेन्टर

(i) जो अभ्यर्थी उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एवं जम्मू व कश्मीर राज्य के निवासी हैं वे अपने आवेदन पत्र में ट्रेड टेस्ट सेन्टर रिषीकेश क्षेत्र लिखें।

(ii) जो अभ्यर्थी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा राज्य के निवासी हैं वे अपने आवेदन पत्र में ट्रेड टेस्ट सेन्टर तेजपुर क्षेत्र लिखें।

(iii) जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पाण्डिचेरी राज्य के निवासी हैं तथा जो अभ्यर्थी उपर्युक्त दिये गये क्षेत्रों जैसे रिषीकेश एवं तेजपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं वे अपने आवेदन पत्र में ट्रेड टेस्ट सेन्टर पुणे क्षेत्र लिखें।

(घ) उम्मीदवार द्वारा चयन किए हुए ट्रेड टेस्ट के लिए सेन्टर में ही देने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी कमाण्डेंट ग्रेफ सेन्टर को यह विशेष अधिकार है कि वह प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए निर्धारित व नए सम्मिलित सेन्टर में से कोई एक सेन्टर ट्रेड टेस्ट के लिए दे सकता है।

(च) सभी आवेदनों पर विज्ञापन संख्या, तिथि तथा आवेदित पद का उल्लेख करते हुए कमाण्डेंट, ग्रेफ केन्द्र, दिघी कैम्प, पुणे-411 015 को पंजिकृत/पावती डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(छ) किसी भी पद के लिए आवेदन करने के पूर्व आवेदन कर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दी गई अर्हताओं योग्यताओं को पूरा करता है। फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को अपनी अन्तिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा है उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यदि अभ्यर्थी पद की अर्हताओं एवं योग्यताओं को पूरा नहीं करता है और वह नियुक्त हुआ है तो कमाण्डेंट ग्रेफ सेन्टर, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी एवं नियुक्ति को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी समय निरस्त अथवा सेवा समाप्त कर सकते हैं।

(ज) अभ्यर्थी को टाइप किया हुआ, साफ भरा हुआ और उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन भेजना चाहिए। आवेदन पत्र उच्च गुणवत्ता वाले ए-4 साइज वाले बोन्ड (80 जीएसएम) पेपर पर एक तरफ होना चाहिए। आवेदन पत्र समाचार पत्र की कटिंग पर नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी बाजार से मुद्रित (प्रिंटिंग) आवेदन फार्म खरीदते समय ये सुनिश्चित करें कि आवेदन फार्म विज्ञापन में दिए गए प्रोफार्मा के अनुरूप है। अभ्यर्थी रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन का छायाप्रति भी भरकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी www.bro.nic.in बेबसाइट पर भी आवेदन पत्र प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना आवेदन-पत्र अन्तिम तिथि के पहले समय रहते भेजना चाहिए। कमाण्डेंट आपकी डाक रूकावट एवं गलत डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

(झ) अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को 10वीं/हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्शायी गई जन्मतिथि ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक मान्य होगी। मार्कशीट में दी गई जन्मतिथि प्रमाणपत्र के स्थान पर मान्य नहीं होगी।

(ट) विज्ञापन की अन्तिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सेना कार्मिक विज्ञापन में आरक्षित एक्स सर्विसमैन के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ठ) ट्रेड टेस्ट के लिए बुलावा पत्र (काल लेटर) डाक द्वारा अभ्यर्थियों को भेजे जायेंगे जिसका विवरण www.bro.nic.in पर देखा जा सकता है। बुलावा पत्र (काल लेटर) देरी से मिलने अथवा गलत डिलीवरी होने के लिए कमाण्डेंट ग्रेफ सेन्टर दिघी कैम्प, पुणे-411015 जिम्मेदार नहीं होंगे। अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम www.bro.nic.in बेबसाइट पर देखा जा सकता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा अथवा टेस्ट में पास अथवा चयनित नहीं किए गए हैं उनकी सूचना कमाण्डेंट, द्वारा नहीं दी जायेगी।

(ड) चयनित अभ्यर्थी ग्रेफ सेन्टर पुणे में 59 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(ढ) जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति अथवा अन्य पिछड़ी जाति का दावा करते हैं और निर्धारित प्रोफार्मा पर जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत अथवा आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करते हैं तो उन्हें ट्रेड टेस्ट (परीक्षा) में बैठने के योग्य नहीं समझा जायेगा।

(त) जिन एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों ने किसी पद के लिए अपनी निर्धारित श्रेणी में आवेदन किया है वे उसी पद के लिए अनारक्षित श्रेणी में आवेदन न करें क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित ट्रेड टेस्ट के मानदंड पूरे करने वाले उम्मीदवारों के नाम ही मैरिट लिस्ट बनाते समय अनारक्षित श्रेणी में शामिल किए जाएंगे।

(थ) एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय से संबंधित अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता पूरी करने पर अनारक्षित पदों के लिए भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते इस विज्ञापन में उसकी श्रेणी के लिए कोई पद नहीं है। हालांकि उसको आवेदन शुल्क और उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(द) रोजगार समाचार में दी गई सेवा-शर्तों में यदि कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन है तो मान्य होगा। भर्ती के लिए आवश्यक एवं लागू होने पर होगा कमाण्डेन्ट ग्रेफ सेन्टर को सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार के उत्तरवर्ती परिवर्तन/संशोधन/जोड़कर रोजगार समाचार पत्र में देने एवं विचार करने के लिए सर्वाधिकार प्राप्त होंगे।

(ध) पदों की सूचना दिए बिना पदों को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

(न) सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता टेस्ट देना होगा। लेकिन चयन के दौरान शारीरिक परीक्षण के अंक आवेदित पद के हिसाब से अलग-अलग होंगे। सभी पदों के लिए शारीरिक परीक्षण पास करना अनिवार्य होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए आनेवाले विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को इस शारीरिक टेस्ट से छूट होगी। हालांकि, चयन के दौरान शारीरिक टेस्ट के अंकों का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सभी ट्रेडों की शारीरिक परीक्षण का विवरण परिशिष्ट '1' एवं '2' में दिया गया है।

(प) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) में होगी।

नोट : यदि इस विज्ञापन में प्रकाशित किसी पद के लिए पर्याप्त उम्मीदवार आवेदन नहीं करते हैं तो एसी स्थिति में उम्मीदवारोंको किसी अन्य भर्ती क्षेत्र पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

02. आयु सीमा/छूट :- कम एवं अधिक आयु सीमा की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। अधिक आयु-सीमा में निम्नानुसार छूट पाने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

क्रमांक	वर्ग	आयु में छूट
(क)	अनारक्षित	शून्य
(ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति	05 वर्ष
(ग)	अन्य पिछड़ी जाति	03 वर्ष
(घ)	विभागीय उम्मीदवार	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 45 वर्ष तक, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 43 वर्ष तक तथा अनारक्षित में ग्रुप 'सी' के लिए 40 वर्ष तक
(च)	भूतपूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक जिसने शसस्त्र सैन्य बलों में कम से कम 06 माह की लगातार सेवा की हो उसे अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को देय आयु सीमा छूट के अलावा वास्तविक आयु से सेना में की गई कुल सेवा व 03 साल घटाने की अनुमति।
(छ)	शारीरिक रूप से अपंग/विकलांग व्यक्तियों के लिए।	10 वर्ष
(ज)	जम्मू एवं कश्मीरी प्रवासियों के लिए	05 वर्ष

नोट :- 1. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करेंगे तो उपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

2. आयु एवं अनुभव की गणना जहां अपेक्षित होगी, आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि अर्थात् इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिन बाद से की जायेगी।

03. कॉल लेटर जारी करने के लिए वेटेज

सेवारत/सेवा निवृत्त ग्रेफ कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों, स्पोर्ट्समेन, और एन सी सी प्रमाण पत्र धारकों को कॉल लेटर जारी करने के लिए अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत में जोड़ने के लिए निम्नानुसार वेटेज दिया जाएगा :-

(क)	सेवारत/सेवानिवृत्त ग्रेफ कार्मिकों के पुत्र (रियायत केवल एक पुत्र के लिए)	-	15%
(ख)	एन सी सी 'सी' प्रमाण-पत्र	-	10%
(ग)	एन सी सी 'बी' प्रमाण-पत्र	-	05%
(घ)	उच्च पद(ओपन मार्केट) के लिए आवेदन करने वाले सेवारत ग्रेफ कार्मिक	-	15%
(च)	सेवानिवृत्त सैनिकों के पुत्र	-	03%
(छ)	जिला/राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व करनेवाले खिलाड़ी किया हो।	-	05%

04. आवेदन शुल्क (वापस नहीं होगा) :- आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान (जो वापस नहीं होगा) कमांडेंट, ग्रेफ सेन्टर पुणे-411 015 के नाम, भारतीय स्टेट बैंक, खड़की ब्रांच, पुणे कोड संख्या 01629 पर देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करें। प्रत्येक वर्ग के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत होगा :

क्रमांक	वर्ग/श्रेणी	आवेदन शुल्क
(क)	सामान्य उम्मीदवारों के लिए	50 रूपये
(ख)	अन्य पिछड़ी जाति के लिए	50 रूपये
(ग)	अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए	कोई शुल्क नहीं
(घ)	शारीरिक रूप से विकलांग के लिए	कोई शुल्क नहीं

05. आवेदन कैसे करें

(क) आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी/हिन्दी में ही भरें।

(ख) कोई भी अभ्यर्थी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं भेजेगा।

(ग) यदि आवेदनकर्ता एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग लिफाफे में आवेदन के साथ अलग-अलग रूप में शुल्क देना होगा। एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। ट्रेड टेस्ट की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(घ) यदि किसी आवेदनकर्ता ने मैट्रिक/एस.एस.सी./हायर सेकेन्ड्री सीनियर सेकेन्ड्री के बाद अपना नाम परिवर्तित किया है या अपने नाम में किसी भाग को जोड़ा या छोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य लिखित परीक्षा के लिए राजपत्र अधिसूचना की अनुप्रमाणित प्रति देनी होगी कि उसने मैट्रिक आदि के बाद अपने नाम में परिवर्तन किया है। परिवर्तित नाम राजपत्र अधिसूचना में दर्शाया गया हो।

(च) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन संख्या 01/2013 में दिए गए सामान्य अनुदेशों को भली-भांति समझ लें। आवेदनकर्ता को विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए जिससे वह आश्वस्त हो सके कि जिस पद के लिए आवेदन किया है वह उसके लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को सभी विहित अर्हताएं जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि पूर्ण करता है।

(छ) आवास के सबूत आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं, जन्मतिथि, जाति के साक्ष्य रूपरूप प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र दिए गए परिशिष्ट 'बी' एवं 'सी' के प्रोफार्मा के अनुसार होना चाहिए। एस सी/एस टी/ओ बी सी का जाति प्रमाणपत्र, (ओ बी सी के लिए फार्म प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि से एक वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए) किसी सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो उस पर रबड़ की गोल मोहर एवं पदनाम मोहर उचित स्थान पर स्पष्ट लगी हो जिसे पढ़ा जा सके।

(ज) भारतीय मूल के गोरखा को अपने स्थायी निवास का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(झ) यदि कोई प्रमाणपत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में है तो उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद किसी प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा कर संलग्न करें।

(ट) सेवारत/भूतपूर्व ग्रेफ कार्मिकों के पुत्रों को अपने पिता के आश्रित होने का विवरण यथा जी.एस. संख्या रैंक एवं नाम आवेदन के ऊपर लाल स्याही से लिखना चाहिए एवं अपने पिता की युनिट के कमान अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र/सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

(ठ) प्राइवेट नियोक्ता/ठेकेदार से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र छपे हुए लैटर पेड पर होना चाहिए। उसमें सन्दर्भ संख्या, सी एस टी संख्या, टिन संख्या व पंजीकरण संख्या का उल्लेख एवं रबड़ सील लगी होनी चाहिए। प्रमाणपत्र में किए गए कार्य का स्वरूप, नियुक्ति की अवधि तारीख सहित वेतन का उल्लेख होना चाहिए।

(ड) नैमित्तिक मजदूरों के अनुभव प्रमाणपत्र यूनिट के कमान अधिकारी द्वारा उनके कोड नम्बर का उल्लेख करते हुए जारी होने चाहिए तथा कमाण्डर कृतिक बल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। सी.पी. लेबर को अपने आवेदन पत्र कमाण्डेंट, ग्रेफ सेन्टर, दिघी कैम्प, पुणे को ही भेजने चाहिए।

(ढ) सी. पी. लेबर श्रेणी के लिए लाभ केवल उन्हीं सी. पी. मजदूरों को प्राप्त होंगे जिन्होंने ग्रेफ में सी.पी. लेबर के रूप में कम से कम 06 माह काम किया है और समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को संगठन में सी.पी. लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। इस आशय का यूनिट कमान अधिकारी द्वारा जारी और कृतिक बल कमाण्डर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है। केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों में पहले से कार्य कर रहे अभ्यर्थी अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजें।

(त) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भेजते समय आवेदन पत्र के लिफाफे पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में ----- के पद के लिए आवेदन, श्रेणी - (अनारक्षित/अ.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.जाति), अनिवार्य योग्यता में प्रतिशत छूट लिखा होना चाहिए।

(थ) सभी आवेदन पत्र विज्ञापन संख्या, पद का नाम लिखकर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर कमाण्डेंट, ग्रेफ केन्द्र, दिघी कैम्प, पुणे-411 015 में पहुंच जाने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीत, जिला चम्बा के पांगी उप विभाग और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंध रखते हैं उनके आवेदन पत्र भी 60 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र उचित प्रोफार्मा पर विज्ञापन की परिशिष्ट 'ए' के मुताबिक होना चाहिए।

(द) जिन अभ्यर्थियों ने पिछले विज्ञापनों में आवेदन किया था वे भी नए सिरे से आवेदन करें।

06. अवैध आवेदन पत्र

(क) जो आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं भरे हुए होंगे या अधूरे होंगे एवं गलत सूचना, तथ्यविहीन, वगैर हस्ताक्षर, शुल्क रहित, गैर अनुप्रमाणित, बिना फोटो के होंगे उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन भेजने पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(ख) जो आवेदन पत्र दिए गए अनुदेशानुसार नहीं भरे होंगे अथवा आंशिक रूप से भरे होंगे उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अस्वीकृत आवेदन पत्रों के बारे में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। निम्न कारणों से आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं :-

- (1) अधूरे अथवा अपठनीय व जो आवेदन पत्र विज्ञापन अनुसार विहित प्रपत्र में नहीं है।
- (2) हस्ताक्षर/फोटोग्राफ व तारीख के उल्लेख बिना प्रस्तुत।
- (3) एस सी /एस टी /ओ बी सी तथा भूतपूर्व सैनिक के उचित प्रमाणपत्र के बिना प्रस्तुत।
- (4) निर्धारित आयु सीमा से कम एवं अधिक आयु सीमा के उम्मीदवारों के आवेदन पत्र।
- (5) आवेदन के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र।
- (6) शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त नहीं होने पर।
- (7) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र।
- (8) अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के मामले में बिना विहित फीस के प्रस्तुत आवेदन पत्र।
- (9) अन्य कोई अनियमितता जैसे क्षतिग्रस्त आवेदन/दस्तावेज।
- (10) दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न न हों।

07. भर्ती के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(क) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ख) जाति प्रमाण पत्र।

(ग) अनुभव प्रमाण पत्र।

(घ) निवास प्रमाण पत्र/आवास के सबूत सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो। भारतीय मूल के गोरखा को अपने स्थायी निवास का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

08. भर्ती प्रक्रिया :-

(क) किसी भी ट्रेड के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक परीक्षण/लिखित परीक्षा एवं प्रेक्टिकल टेस्ट व साक्षात्कार की योग्यतानुसार पूर्णतः मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

(ख) कमांडेंट ग्रेफ सेन्टर पुणे द्वारा ट्रेड टेस्ट की तिथि निर्धारित की जाएगी। अंको के प्रतिशत/योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों की छटनी की जाएगी और टेस्ट के लिए बुलावा पत्र जारी किया जाएगा।

(ग) ट्रेड टेस्ट के लिए उपस्थित होने पर सबसे पहले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों की जांच भर्ती केंद्र के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन संख्या 01/2013 के अनुसार होंगे उन्हीं को अगली प्रक्रिया के लिए अनुमति दी जायेगी। सभी अभ्यर्थियों को ग्रेफ सेन्टर एवं अन्य भर्ती क्षेत्रों पर स्क्रीनिंग/साक्षात्कार/व्यवसाय परीक्षा के लिए निम्नलिखित परीक्षा/टेस्ट से गुजरना होगा :-

- (1) शारीरिक परीक्षण
- (2) व्यवसाय परीक्षा/लिखित परीक्षा
- (3) साक्षात्कार

(घ) शारीरिक जांच :- अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा और जो अभ्यर्थी शारीरिक जांच पास करेगा उन्हीं को आगे के टेस्ट के लिए (जैसे कि लिखित परीक्षा/प्रेक्टिकल/साक्षात्कार) अनुमति दी जाएगी।

(च) लिखित परीक्षा :- प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए नीले बाल-पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल से कार्य करने की अनुमति नहीं है। उत्तर-पुस्तिकाओं में अपनी पहचान प्रकट करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पद के लिए निर्धारित शैक्षिक स्तर अथवा तकनीकी अर्हता/योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ स्तर का होगा जिसमें उत्तर बहुविकल्पीय होंगे तथा जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंकगणित, विश्लेषणात्मक एवं गुणात्मक कौशल तथा पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के होंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषी होंगे तथा इस परीक्षा की अवधि ट्रेड के आधार पर 01 से लेकर 03 घंटे की हो सकती है।

(छ) साक्षात्कार :- संबंधित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ज) भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, इसलिए सभी अपने खर्चे पर बाहर ठहरने के लिए व्यवस्था करके आएं।

(झ) व्यवसाय परीक्षा :- विकलांक अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण छोड़कर सभी व्यवसाय परीक्षा से गुजरना होगा।

(ट) आयु और अनुभव :- आयु और अनुभव की अवधि निकालने के लिए मुख्य धारा के राज्यों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख मानी जाएगी (न कि पूर्वोत्तर राज्यों से आवेदन प्राप्ति की तारीख)।

(ठ) कोई भी अस्थायी प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र में प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ड) अस्थायी तौर पर चयनित उम्मीदवारों का परिणाम www.bro.nic.in में देखा जा सकता है साथ ही अस्थायी तौर पर चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए 04 से 06 सप्ताह के भीतर ग्रेफ सेन्टर, दिधी कैम्प पुणे-15 में रिपोर्ट करने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजा जाएगा।

(ढ) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आवश्यक चिकित्सा/स्वस्थता पास करने के अधीन होगी। इसका परीक्षण बी आर ओ के चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर भी चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के खिलाफ एक अपील करने की अनुमति है। चिकित्सा परीक्षण किया जाना उम्मीदवार के चयन का अधिकार नहीं समझा जाएगा। उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सा परीक्षण पास करने और मूल आवश्यक दस्तावेज (जैसे कि अंक तालिका के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास/आवास प्रमाण पत्र इत्यादि जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अर्थात् तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से नीचे का न हो) प्रस्तुत करने पर ही की जाएगी।

(त) अस्थायी तौर पर चयनित उम्मीदवारों के कागजात/दस्तावेज की विस्तृत जांच भर्ती स्कन्ध ग्रेफ सेन्टर पुणे द्वारा की जायेगी।

(थ) केवल शारीरिक रूप से फिट उम्मीदवारोंको ही भर्ती किया जाएगा।

(द) दस्तावेजों की अन्तिम जांच के दौरान यदि उम्मीदवार उचित आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

शारीरिक मानक

क्षेत्र	राज्य/प्रदेश शामिल	शारीरिक मानक		
		कद सेमी. में	सीना सेमी. में	वजन कि.ग्रा. में
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब राज्य के अन्तर्राज्यीय दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़ एवं चंडीगढ़ के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र) गढ़वाल एवं कुमाऊ (उत्तराखण्ड)	158	75-80	47.5
पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कालिंगपोंग जिला) तथा अण्डमान एवं निकोबार	152	75-80	47.5
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश (मेरठ डिवीजन: मेरठ मुज्जफरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर हरिद्वार और आगरा डिवीजन: अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, इटावा एवं फिरोजाबाद)	162.5	76-81	50
पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखण्ड	157	75-80	50
केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव, छत्तीसगढ़	157	75-80	50
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, गोवा और पाण्डिचेरी	157	75-80	50
डीडी मामलों में छूट (केवल पुत्र और दत्तक पुत्र को ही छूट मिलेगी अन्य किसी संबंधी को नहीं)		2	1	2
गोरखा (भारतीय अधिवास)		152	75-80	47.5
सेवारत/भूतपूर्व ग्रेफ कार्मिकों के पुत्रों की दी जाने वाली छूट		2	1	2

(ध) चिकित्सीय मानक :

प्रत्येक रंगरूट पूर्णरूप से स्वस्थ, तन्दुरस्त व बुद्धिमान होना चाहिए। उसे कोई भी मानसिक तथा शारीरिक अशक्तता न हो, जो कि भर्ती चिकित्सा अधिकारी की दृष्टि में सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल में, विशेषतया उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए अयोग्य हो। वह वर्णाधता से पूर्णतः मुक्त हो।

(न) दृष्टि मानक :-

(प) सामान्य रंगरूटों के लिए :

नेत्रीय तीव्रता (चश्मे सहित/बिना चश्मे के)

उत्तम आँखें.....6/12 खराब आँखें..... 6/36

अथवा

अथवा

पढ़ने हेतु 0.6 या जे 2 पढ़ने हेतु 1 या जे 6

(फ) झाइवरों के लिए (बिना चश्मे के)

प्रत्येक नेत्र..... 6/12 उत्तम नेत्र...6/6 पढ़ने हेतु 0.5 या जे 1

अथवा

अथवा

पढ़ने हेतु 0.6 या जे 2, खराब नेत्र.....6/36 पढ़ने हेतु 1 या जे 6

(ब) वे उम्मीदवार जो पश्चिमी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब के बीच में दक्षिण एवं पश्चिमी अन्तर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में और मुकरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़ एवं चण्डीगढ़) के उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले हैं सिविल अथोरिटी (तहसीलदार/मजिस्ट्रेट) द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र अपने आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। चिकित्सा परीक्षण करते समय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

शारीरिक रूप से विकलांग :- जहां लागू है वहां शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उनकी संबंधित श्रेणी में 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। फिर भी वे ग्रेफ सेवा में लागू व्यवसायिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक परीक्षण पास करने पर ही भर्ती के योग्य होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को इस विज्ञापन में प्रकाशित निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन पदों में रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षित नहीं हैं :-

- (1) पर्यवेक्षक (भण्डार)
- (2) लैब सहायक
- (3) हिन्दी टंकक

09. कार्यरत कर्मचारी

(क) सरकारी विभागों में कार्यरत कार्मिक उचित माध्यम द्वारा समय से पूर्व आवेदन पत्र भेजें ताकि उनके आवेदन पत्र निर्धारित समय के अन्दर पहुंच सके।

10. सेवारत कार्मिक की पुनर्नियुक्ति

(क) विभागीय कार्मिकों के आवेदन पत्र आर ओ आई 1/98 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर उनकी यूनिट को एक साथ भेजने चाहिए।

(ख) विभागीय कार्मिक जैसे कि चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड), प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड) एवं चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड) के पद के लिए आवेदन करते हैं तो, भारत सरकार, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.3 दिनांक 22 दिसम्बर 2004 जैसे शुद्धि-पत्र संख्या 237 (ई) दिनांक 12 अप्रैल 2005 द्वारा संशोधित किया है के क्राइटेरिया अनुसार ग्रुप 'सी' में नियमित रूप से 05 वर्षों की सेवा होनी चाहिए।

(ग) उपयुक्त पद के लिए पुनर्नियुक्ति लेने के इच्छुक सभी ग्रेफ कर्मचारी, समय-समय पर प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करें। यदि कोई कार्मिक सभी अर्हताएं जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा उम्र आदि पूरी करता है तो अपनी परियोजना के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(घ) कोई सेवारत ग्रेफ कर्मचारी, अन्य अभ्यर्थियों के साथ किसी दूसरी ट्रेड में पुनर्नियुक्ति ले सकता है। यदि वह सीधे भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं-शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा आयु आदि पूरी करता है तो यह ट्रेड उसके कैडर से भिन्न भी हो सकती है।

(च) यदि कोई ग्रेफ कर्मचारी सीधी खुली भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर लेता है तो वह ग्रुप 'सी' पोस्ट में पुनर्नियुक्ति के लिए बड़ी हुई आयु सीमा (अनारक्षित के लिए 40 साल, ओ बी सी के लिए 43 साल तथा एस सी /एस टी के लिए 45 साल) की सहायता ले सकता है वशर्ते उसने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो और आवेदित पद उसी संवर्ग में होना चाहिए और दोनों पदों के बीच यह संबंध स्थापित होना चाहिए कि ग्रेफ में की गई सेवा आवेदित पद का कार्यभार संभालने में सहायक होगी।

(छ) सेवारत कर्मचारी आयु, योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित उपर्युक्त क्तिरिया सुनिश्चित करने के बाद अपना आवेदन संबंधित फॉर्म तथा परिशिष्ट (सी.स.सं. के पत्र सं 67043/नीति/ सी.स.सं./ई जी 2 (भर्ती) दिनांक 23 अक्टूबर 1974 तथा ग्रेफ रिकार्ड के पत्र सं. 1280/83/पी 2 दिनांक 05 मार्च 1976 द्वारा भेजे गए प्रोफार्मा के अनुसार) के साथ अपने कमान अधिकारी को प्रेषित कर सकता है। यूनिट संबंधित कर्मचारी के सेवा दस्तावेजों से सभी विवरण की जांच करेगी। पूरे कागजात कृतिक बल कमांडर की सिफारिश तथा उसके बाद मुख्य अभियंता की सिफारिश के लिए भेज दिए जाएंगे।

(ज) विभागीय कार्मिक की पुनर्नियुक्ति के लिए सिफारिश करने से पहले यूनिट कमान अधिकारी सुनिश्चित करे कि कार्मिक अपेक्षित योग्यता एवं अन्य शर्तें पूरी करते हैं।

(झ) चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड), प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड) एवं चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड) के लिए :- आवेदन पत्र जमा करने की तिथि के समय भारी वाहन चलाने का लाइसेंस (हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस) होना चाहिए।

(ट) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियां/बच्चे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

11. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी की परिभाषा :

- (क) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रायः उस व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की थल सेना, नेवी तथा वायु सेना में किसी भी रैंक में (कम्बाटेन्ट अथवा गैर कम्बाटेन्ट) सेवा की हो। इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियर बल, लोक सहायक सेना व अर्द्ध सैनिक बलों (पैरा मिलिट्री फोर्स) में काम किया है और
- (ख) जो आर्मी, नेवी व वायु सेना से पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा
- (ग) जो स्वयं के अनुरोध के अलावा स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त हुए हैं अथवा
- (घ) जो रक्षा सेवाओं से स्वयं अनुरोध या बर्खास्ती या दुराचार के कारण सेवामुक्त किए गए हैं उन्हें छोड़कर अपनी नियुक्ति की निर्धारित अवधि पूरी करने पर कार्यमुक्त हुए कार्मिक जिन्हें उपदान दिया गया हो।
- (च) जो रक्षा सेवाओं से चिकित्सा आधार पर या उस स्थिति में जो कि नियंत्रण के बाहर या अन्य असक्षमता पेंशन के कारण सेवामुक्त किए गए हैं। अथवा
- (छ) संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने पर "भूतपूर्व सैनिकों" की श्रेणी में आएंगे वे नियुक्ति की निर्धारित अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें यूनीफार्म छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र सेनाओं में दी गई शर्तें व निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं कर लेते हैं।
- (ज) भूतपूर्व सैनिक जिसने पहले ही भूतपूर्व सैनिकों को देय रियायतों का लाभ उठाते हुए सरकारी सेवा प्राप्त कर ली है उसे पुनर्नियुक्ति के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसे कार्मिक को सिविल कार्मिक माना जाएगा और उसे केवल वही लाभ मिल सकेंगे जो सिविल कार्मिकों को विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सामान्यतः देय है बशर्ते कि वे इन लाभों के लिए अन्य विहित शर्तें पूरी करते हो।

12. सेवा शर्तें :-

- (क) बल (विभाग) के सदस्यों को पूरे भारत में किसी भी परियोजनाओं/इकाइयों विशेषकर उत्तरी पूर्वी भागों में तैनात किया जाता है। व्यक्तियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
- (ख) चुने गए उम्मीदवार पहले 02 वर्ष तक परिवीक्षाधीन (प्रोवेशन पर) रहेंगे। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सक्षम प्राधिकारी उनकी सेवा निरन्तरता के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करेंगे तथा उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।
- (ग) बल के सभी सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम-1965 के प्रावधानों से शासित होंगे।
- (घ) उपर्युक्त के अलावा बल के सभी सदस्यों पर सेना अधिनियम-1950 के प्रावधानों और उनके अधीन बने नियम जिनका उल्लेख 1960 के एस आर ओ 329 और 330 में किया गया है, लागू होंगे।
- (च) बल (विभाग) के सदस्यों को प्राधिकृत माप के अनुसार मुफ्त राशन, वर्दी धुलाई भत्ता, स्वयं के लिए मुफ्त आवास, विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता, रिमोट लोकालिटी भत्ता तथा यथा स्वीकार्य स्थानीय भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता (आवास भत्ता) शहर प्रतिपूर्ति भत्ता इत्यादि देय हैं।
- (छ) बल के सदस्यों को नई अंशदायी पेंशन योजना, अवकाश यात्रा रियायत, संतान शिक्षा भत्ता, सामूहिक बीमा योजना, चोट हितलाभ, चिकित्सा उपचार तथा पारिवारिक आवास की सुविधा जैसा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लागू है, सहित अन्य रियायतें उपलब्ध हैं। कुछ स्थानों पर विभाग के पास अपने पारिवारिक आवास भी हैं।

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए रियायतें :-

- (क) यदि बेरोजगार हो तो ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार में आने तथा जाने के लिए नियमानुसार द्वितीय श्रेणी का रेल यात्रा भत्ता देय है। यह रकम यात्रा समाप्त होने के बाद जाति प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र एवं टिकट संख्या प्रस्तुत करने पर देय होगी।

14. अन्य जानकारी

- (क) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ टिकट लगा लिफाफा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र सरकारी खर्च पर भेजे जाएंगे एवं बेबसाईट संख्या www.bro.nic.in में उपलब्ध होंगे।
- (ख) विज्ञापित पदों की भर्ती पूरे वर्ष भर विभिन्न निर्धारित चरणों में की जायेगी। ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार में उच्च अंक प्राप्त करने वाले सफल घोषित उम्मीदवारों को मैरिट एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भर्ती किया जायेगा। दूसरे अभ्यर्थी जो कि परीक्षा में पास होते हैं, परन्तु मैरिट में नहीं आ पाते हैं उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। वे आगामी विज्ञापनों के तहत पुनः आवेदन कर सकते हैं।
- (ग) विज्ञापन में दर्शायी गई पदों की संख्या अस्थायी हैं एवं यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वह रिक्त पदों को पूर्ण या आंशिक रूप से भरे या कुछ पदों को विभागीय आवश्यकता के आधार पर सूची में से निरस्त कर दे।

(घ) इस विज्ञापन, भर्ती कार्यक्रम, साक्षात्कार पत्र आदि के बारे में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(च) उम्मीदवार के वर्तमान पते में बदलाव की स्थिति में उम्मीदवार को डाक की व्यवस्था स्वयं ही डाक विभाग के साथ करनी होगी।

(छ) मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान भर्ती परिक्षेत्र में लाने की अनुमति नहीं है।

15. वेष या व्यक्तित्व परिवर्तन/वास्तविक तथ्य को छिपाना :-

(क) चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार के दबाव एवं व्यक्तित्व परिवर्तन एवं वास्तविक तथ्य को छिपाने की चेष्टा किसी भी हालत में नहीं करेगा। अन्यथा उम्मीदवार को सभी बी.आर.ओ. की परीक्षाओं से आजीवन वंचित कर दिया जायेगा। इसके साथ-साथ बी.आर.ओ. की नियुक्ति से वंचित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(ख) वास्तविक तथ्य को छिपाना, असत्य/झूठे प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्रों को अपनी योग्यता बनाये रखने के लिए प्रस्तुत करना तथा परीक्षा में बैठने के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा लेने के संबंध में जिस भर्ती के लिए उसने आवेदन किया है उसमें उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। कमाण्डेंट, ग्रेफ सेन्टर, पुणे द्वारा सीमा सड़क संगठन में संचालित की जाने वाली सभी परीक्षाओं से दो वर्ष के लिए वंचित कर दिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(ग) किसी उम्मीदवार को सीमा सड़क संगठन की परीक्षाओं से एक निश्चित समय या उम्र भर के लिए रोका जा सकता है यदि :-

(i) कोई उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए कई आवेदन भेजता है।

(ii) कोई उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए अलग-अलग समुदाय से कई आवेदन भेजता है।

(iii) कोई उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए अलग-अलग फोटो के साथ कई आवेदन भेजता है।

(iv) कोई उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए अलग-अलग दस्तावेजों के साथ कई आवेदन भेजता है।

(घ) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया अथवा परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को भेजा हुआ पाया गया तो उसे सीमा सड़क संगठन की सभी परीक्षाओं से जीवन काल के लिए वंचित कर दिया जायेगा।

(च) एक ही पद के लिए उसी या अलग श्रेणी में ट्रेड टेस्ट के लिए बार-बार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन/अभ्यर्थन/नियुक्ति किसी भी समय निरस्त कर दी जाएगी।

16. चेतावनी :- दलालों/धोखेवाजों/धांधली करने वाले तत्वों से दूर रहे ऐसे तत्व अपना प्रभाव बनाकर/झूठे दिलासे अथवा अनुचित एवं भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग कर आपको बी आर ओ में नियुक्ति अथवा जॉब सुरक्षित दिलाने के बहाने झूठा वायदा कर आपको धोखा दे सकते हैं। आप ऐसे झूठे भरोसे अथवा शोषण से बचें तथा कभी भी अपने पास न आने दें तथा किसी भी तरह ऐसे तत्वों के झांसे में न आयें। आपको एक बार पुनः भरोसा दिलाया जाता है कि ट्रेड टेस्ट पूर्णतः सही एवं पारदर्शी रूप से योग्यतानुसार किया जाता है। बी आर ओ ने ऐसे किसी एजेन्ट अथवा कोचिंग केन्द्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों एवं एजेन्टों से सावधान रहें।

मापदण्ड : शारीरिक दक्षता परीक्षण (ग्रुप 'सी' के निम्न ट्रेड के लिए)			
(क वाहन मैकेनिक (ख) चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड) (ग) प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड) (घ) चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड)			
क्रमांक	गतिविधि/वि वरण	वैटेज के लिए अग्रेनीत अंक	पास होने के लिए अधिकतम समय
1.	एक मील की दौड़	(शून्य) केवल टेस्ट में पास होना अनिवार्य	8 मिनट
मापदण्ड : शारीरिक दक्षता परीक्षण (ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) और ग्रुप 'सी' के बाकी ट्रेड के लिए)			
क्रमांक	गतिविधि/वि वरण	वैटेज के लिए अग्रेनीत अंक	पास होने के लिए अधिकतम समय
1.	एक मील की दौड़	(शून्य) केवल टेस्ट में पास होना अनिवार्य	10 मिनट
<p>नोट : प्रथम टेस्ट के रूप में एक मील की दौड़ आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता पास करने के बाद ही लिखित परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी।</p>			

11. आवेदन शुल्क का विवरण

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	राशि

12. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो दूसरी/तीसरी श्रेणी के लिए निम्नलिखित बॉक्स में उल्लेख करते हुए उपरोक्त कोड का प्रयोग करें।

--	--	--

13. (क) क्या आप भूतपूर्व सैनिक के पुत्र हैं (हाँ/नहीं)
- (ख) क्या आप सेवारत/सेवानिवृत्त ग्रेफ कार्मिक के पुत्र हैं (हाँ/नहीं)
- (ग) क्या आपके कोई भाई ग्रेफ/सेना में कार्यरत हैं (हाँ/नहीं)
- (घ) क्या आप एन.सी.सी 'बी' प्रमाण पत्र धारक हैं (हाँ/नहीं)
- (च) क्या आप एन.सी.सी 'सी' प्रमाण पत्र धारक हैं (हाँ/नहीं)
- (छ) क्या आप खिलाड़ी/स्पोर्ट्समेन हैं (हाँ/नहीं)
- (ज) यदि हाँ तो लिखिए 1. राज्य स्तर 2. क्षेत्रीय स्तर 3. विश्वविद्यालयीन स्तर (सर्पोटिंग दस्तावेज संलग्नक करें)

14. (क) शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल परीक्षा के साथ)

परीक्षा का नाम	पास करने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि.	प्राप्त अंक/कुल अंक	% अंक

(अंक सूची की फोटोकापी संलग्न करें। जहां ग्रेड दिये गये हैं उन्हें समतुल्य प्रतिशत में बदलना होगा)।

(ख) तकनीकी योग्यता (उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण का विवरण)

परीक्षा का नाम	पास करने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि.	प्राप्त अंक/कुल अंक	% अंक

(अंक सूची की फोटोकापी संलग्न करें। जहां ग्रेड दिये गये हैं उन्हें समतुल्य प्रतिशत में बदलना होगा)।

15. वाहन चलाने के लाइसेंस का विवरण (ड्राइवर एम टी (ओ जी)/ओ ई एम (ओ जी)/ड्राइवर रोड रोलर (ओ जी) के लिए)

लाइसेंस संख्या	जारी करने की तारीख	जारी करने का प्राधिकार	लाइसेंस वैधता की प्रारंभिक अवधि	तक नवीनीकरण किया गया। यदि कोई हो
एल एम वी				
एच जी एम वी				

(सर्पोटिंग में लाइसेंस की फोटोप्रति संलग्न करें)

16. कुल अनुभव (महीनों में) (अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें) यदि आवश्यक हो तो अलग शीट का प्रयोग करें)

नियोक्ता का नाम व पता	सेवा अवधि		पद	कार्य की प्रकृति	मासिक वेतन	स्थायी अथवा अस्थायी
	से	तक				

पर्याप्त जगह नहीं होने पर अलग शीट संलग्न करें)

घोषणा

(सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाना है)

1. मैंने इस पद के लिए दूसरा आवेदन नहीं किया है। मैं भलीभांति जानता हूँ कि इस निर्णय का उल्लंघन करने पर मेरा आवेदन पत्र सरसरी तौर पर ग्रेफ केन्द्र द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा और मेरा अभ्यर्थन किसी भी समय निरस्त कर दिया जाएगा।
2. मैंने विज्ञापन के संरचना में दिये प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसके द्वारा यह वचन देता हूँ कि मैं नियमों का निष्ठा से पालन करूंगा।
3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं भर्ती के प्रवेश के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा शारीरिक मानक इत्यादि से निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हूँ। मैंने शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग) तथा आयु में छुट के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्वयं से अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न की हैं।
4. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आज की तारीख तक जनरल रिजर्व इंजीनियर बल द्वारा रोका नहीं गया हूँ और न ही मुझे किसी न्यायालय ने कभी भी दोषी करार दिया है।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आज की तारीख तक मुझे जनरल रिजर्व इंजीनियर बल से सेवा समाप्ति/निष्कासन/बरखास्त नहीं किया गया है।
6. मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पूर्ण विश्वास एवं जानकारी के अनुसार इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य/पूर्ण और सही हैं। मैं भली-भांति समझता हूँ कि यदि कोई सूचना परीक्षा से पहले या बाद में दमन किया गया/भ्रामक या गलत या अपात्रता पायी गई तो मेरी उम्मीदवारिता/नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

स्थान
दिनांक

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

“ अभ्यर्थी के बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा”

नोट 1. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह अंतिम तारीख से काफी पहले ही आवेदन पत्र भेज दें ताकि वह संबंधित कमाण्डेंट, ग्रेफ केन्द्र, दिघी कैम्प, पुणे-411 015 के कार्यालय में अंतिम तारीख तक पहुंच जायें। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट 2 विभागीय अभ्यर्थी अभिलेख कार्यालय अनुदेश 01/98 में निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा भेजें तथापि वे यह सुनिश्चित करें कि अंतिम तारीख तक ग्रेफ सेन्टर, पुणे में पहुंच जायें। नियमों के अनुसार अपूर्ण और देरी से प्राप्त आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश पत्र

रंगीन फोटोग्राफ 4
से.मी. X 5 से.मी.
आकार का हाल ही
में खींचा गया
फोटोग्राफ यहाँ
चिपकायें (स्टेपल न
करें। फोटो तीन
महीने से अधिक

कार्यालय प्रयोग के लिए

(पत्राचार का पता अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएं)

नाम _____
पिता का नाम _____
पत्राचार का पता _____

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर

शारीरिक टेस्ट के समय

लिखित परीक्षा के समय

व्यावहारिक टेस्ट के समय

साक्षात्कार के समय

सेवा में उपस्थित होने के समय

(घ) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया अथवा परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को भेजा हुआ पाया गया तो उसे सीमा सड़क संगठन की सभी परीक्षाओं से जीवन काल के लिए वंचित कर दिया जायेगा।

(च) एक ही पद के लिए उसी या अलग श्रेणी में ट्रेड टेस्ट के लिए बार-बार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन/अभ्यर्थन/नियुक्ति किसी भी समय निरस्त कर दी जाएगी।

16. चेतावनी :- दलालों/धोखेवाजों/धांधली करने वाले तत्वों से दूर रहे ऐसे तत्व अपना प्रभाव बनाकर/झूठे दिलासे अथवा अनुचित एवं भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग कर आपको बी आर ओ में नियुक्ति अथवा जॉब सुरक्षित दिलाने के बहाने झूठा वायदा कर आपको धोखा दे सकते हैं। आप ऐसे झूठे भरोसे अथवा शोषण से बचें तथा कभी भी अपने पास न आने दें तथा किसी भी तरह ऐसे तत्वों के झांसे में न आयें। आपको एक बार पुनः भरोसा दिलाया जाता है कि ट्रेड टेस्ट पूर्णतः सही एवं पारदर्शी रूप से योग्यतानुसार किया जाता है। बी आर ओ ने ऐसे किसी एजेन्ट अथवा कोचिंग केन्द्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों एवं एजेन्टों से सावधान रहें।

मापदण्ड : शारीरिक दक्षता परीक्षण (ग्रुप 'सी' के निम्न ट्रेड के लिए)			
(क वाहन मैकेनिक (ख) चालक यांत्रिक परिवहन (सामान्य ग्रेड) (ग) प्रचालक उत्खनन मशीनरी (सामान्य ग्रेड) (घ) चालक रोड रोलर (सामान्य ग्रेड)			
क्रमांक	गतिविधि/विवरण	वैटेज के लिए अग्रेनीत अंक	पास होने के लिए अधिकतम समय
1.	एक मील की दौड़	(शून्य) केवल टेस्ट में पास होना अनिवार्य	8 मिनट
मापदण्ड : शारीरिक दक्षता परीक्षण (ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) और ग्रुप 'सी' के बाकी ट्रेड के लिए)			
क्रमांक	गतिविधि/विवरण	वैटेज के लिए अग्रेनीत अंक	पास होने के लिए अधिकतम समय
1.	एक मील की दौड़	(शून्य) केवल टेस्ट में पास होना अनिवार्य	10 मिनट
<p>नोट : प्रथम टेस्ट के रूप में एक मील की दौड़ आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता पास करने के बाद ही लिखित परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी।</p>			

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ पुत्र श्री _____ग्राम/शहर_____जिला/डिवीजन_____राज्य_____के _____जाति/समूह के सदस्य हैं, जिसे निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 @
 संविधान अनुसूचित जाति (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 @
 संविधान अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1950 @
 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां संशोधित आदेश 1956 मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 @ एवं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1996, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधित अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार:-
 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 @
 संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधित अधिनियम 1976 @ द्वारा संशोधित किए गए
 संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962 @
 संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 @
 संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 @
 संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 @
 संविधान (गोवा, दमन और द्वीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968 @
 संविधान (गोवा, दमन और द्वीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @
 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जाति आदेश 1970 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 @
 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 @
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996 @

02. यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन प्रवासी व्यक्तियों के लिए लागू होगा जो कि एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आए हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री _____सुपुत्रश्री_____निवासी ग्राम/शहर_____जिला/डिवीजन_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____का _____जाति/जनजाति से है जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है दिनांक _____को _____द्वारा जारी किया गया है।

03. श्री _____और अथवा उनका परिवार _____ग्राम/शहर _____संघ राज्य/राज्य जिला/डिवीजन_____में सामान्यतः निवास करता है।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान : _____

दिनांक : _____

नोट: *कृपया उन शब्दों को काट दें जो लागू नहीं है।

@कृपया विशिष्ट आदेश का उल्लेख/वर्णन है।

£कृपया उन पैराग्राफ को काट दें जो लागू नहीं है।

नोट: यहां प्रयुक्त हुए 'सामान्यता' रहता है शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

****सूची में दिए गए प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया गया है :-**

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/अनुविभागीय अधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(ग) राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार रैंक से कम न हो

(घ) उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां पर उम्मीदवार या उसका परिवार निवास करता है।

नोट: तमिलनाडू राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल विभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----- पिता श्री -----
----- ग्राम/शहर-----जिला/मंडल -----राज्य -----
-----के -----जाति के सदस्य है, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संकल्प संख्या 12011/68/93 बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 10.09.1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 186 दिनांक 13.09.1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19.10.1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 163 दिनांक 20.10.1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/7/95 बी.सी.सी. दिनांक 24.05.1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 88 दिनांक 25.05.1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/96/94 बी.सी.सी. दिनांक 09.03.1996।

संकल्प संख्या 12011/44/96 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/99/94 बी.सी.सी. दिनांक 11.12.1997।

संकल्प संख्या 12011/13/97 बी.सी.सी. दिनांक 03.12.1997।

संकल्प संख्या 12011/68/98 बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 27.10.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 241 दिनांक 27.10.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/88/98 बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 06.12.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 270 दिनांक 06.12.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/36/99 बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 04.04.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

संकल्प संख्या 12011/44/99 बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 21.09.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या 210 दिनांक 21.09.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री----- एवं इनका परिवार सामान्यतः ग्राम-----जिला -----राज्य का निवासी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एस टी सी) दिनांक 08.09.1993 जो कि संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/2/2004-स्था (संसा.) दिनांक 09.03.2004 के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

दिनांक _____ जिला मजिस्ट्रेट/
उपायुक्त

मुहर

नोट: यहां प्रयुक्त हुए 'सामान्यता' रहता है शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

सूची में दिए गए प्राधिकारियों को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित जातियों के प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया गया है :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/अनुविभागीय अधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुक मजिस्ट्रेट/विशेष मजिस्ट्रेट

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(ग) राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार रैंक से कम न हो

(घ) उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां पर उम्मीदवार या उसका परिवार निवास करता है।